

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2335] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941 No. 2335] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

का.आ. 2564(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई की सम्मति से, उक्त अधिनियम के अधीन दो वर्ष अथवा अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालय को अभिहित करती है, अर्थात:-

सारणी

न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)
जिला न्यायाधीश-1 और अपर सेशन न्यायाधीश का	महाराष्ट्र राज्य
न्यायालय, पुणे	

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल.I(खंड-IV)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

3663 GI/2019 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2019

S.O. 2564(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby designates the following Court mentioned in column (2) of the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said Act, namely:-

TABLE

S. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1.	Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Pune	State of Maharashtra.

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.